9-346/11

-7-

समाहरणालय, पटना।

(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612-2219545 (का0)
फैक्स न0-0612-2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

-: आदेश :-

2013 विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-9-346/2011 में आवेदक श्री रवि कुमार, पिता-स्व0 मंगल पासवान, ग्राम+पो0-कुर्मीचक भाया सभयागढ़, थाना-घोसवरी, जिला-पटना से प्राप्त एक दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक-04.06.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक अनुपस्थित। आवेदक की ओर से उनकी माँ के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे दुबई में काम करते हैं। उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का पत्रांक-919/गो0, दिनांक-20.08.2012 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बाढ़ द्वारा थानाध्यक्ष, घोसवरी एवं पुलिस निरीक्षक, हाथीदह के मंतव्य से सहमत होते हुए आवेदक के आवेदित शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में अग्रसारित कर अनुशंसा के साथ संलग्न कर भेजी गयी है। थानाध्यक्ष, घोसवरी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "साम्यागढ़ ओ0 पी0 क्षेत्र जातीय हिंसा एवं अपराधिक दृष्टिकोण से अत्याधिक संवेनदशील है।" आवेदक के पिता स्व0 मंगल पासवान के नाम से एक डी0बी0बी0एल0 गन अनुज्ञप्ति सं0-175/83 प्राप्त था, जो उनके पिता के मृत्युपरान्त पाटलीपुत्रा आर्म्स स्टोर, पटना में जमा है। लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका-10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गई है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0-V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक-31.03.2010 की कंडिका-II में एन0पी0बोर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में निदेश अंकित है, जो निम्नवत है :-

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally.

कंडिका-II की उप कंडिका-b तथा e निम्नवत है :-

b) No licence may be granted without police verification, which will include report on i) antecedents of the applicant, ii) assessment of the threat, iii) capability of the applicant to handle arms, and iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence.

e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under section 13 (2) before granting arms licenses and no arms licence may be issued without police verification.

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0-V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक-31.03.2010 में निहित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता

-8-

9-346/11

अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक दो नाली बन्दूक हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, तथा गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री रवि कुमार, पिता–स्व0 मंगल पासवान, ग्राम+पो0–कुर्मीचक भाया सभयागढ़, थाना–घोसवरी, जिला–पटना के आवेदित एक दो नाली बन्दूक शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।